



SILIGURI MERCHANTS' ASSOCIATION

AGRASEN ROAD, SILIGURI - 734005, DIST. DARJEELING (W.B.)

DIAL: (0353) : 2501509, 2779200

Ref. No. SMA/CIR/08/2021-2022

Date : 30.11.2021

सेवा में,

समस्त सदस्यवृन्द,


सिलीगुड़ी मर्चेन्ट्स एशोसिएशन एवं दार्जीलिंग जिला लोडिंग-अनलोडिंग मजदुर युनियन (INTTUC), सिलीगुड़ी सब-डिविजनल पोर्ट्स युनियन, सिलीगुड़ी मजदुर युनियन के मध्य सिलीगुड़ी बाजार में आवश्यक वस्तुओं के लोड एवं अनलोड तथा हैण्डलिंग के लिये एक सहमति पत्र दिनांक 26-11-2021 को हस्ताक्षरित हुआ।

सभा सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रारम्भ हुई। मजदूरी दर में वर्तमान दर पर बढ़ोत्तरी पर सहमती हुई। यह समझौता 1.12.2021 से 31.3.2023 तक लागू रहेगा। सहमति के विन्दू निम्न प्रकार से है तथा बढ़ोत्तरी दर पीछे पृष्ठ पर लिपिवद्ध है।

सभा में निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित थे :-

सिलीगुड़ी मर्चेन्ट्स एशोसिएशन के प्रतिनिधि	दार्जीलिंग जिला लोडिंग-अनलोडिंग मजदुर युनियन के प्रतिनिधि (INTTUC)	दार्जीलिंग जिला लोडिंग-अनलोडिंग मजदुर युनियन के प्रतिनिधि (AITUC)
श्री गौरीशंकर गोयल, श्री रामप्रताप अग्रवाल	श्री निर्जल दे	श्री सुरेन्द्र राय, श्री अमननाथ
श्री महेश सराफ, श्री कमल कुमार गोयल	डा० संजीव कुमार राय	श्री सदानन्द राय,
श्री आनन्द अग्रवाल	श्री बाचु दास	श्री अवधेश किशोर
श्री निरज गुप्ता	श्री बृज बिहारी प्रसाद एवं अन्य	श्री संदीप पासवान एवं अन्य

- बाल्टी गुड़ की दर 10 केजी के इकाई के रूप में समझी जायेगी।
- जहाँ से माथे पर लोड करके माल लाना संभव नहीं है उस जगह से रिकसा-भैन के मार्फत ढुलाई/उतराई पूर्व की भाँति चालू रहेगी।
- खरीददार को अधिकार होगा कि वो लोडिंग एवं अनलोडिंग करने के लिए अपने मजदूरों को लगावें। इसमें विकवाल के मजदूरों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा।
- मजदूरों की भर्ती एवं छटाई की जिम्मेदारी सरदारों की होगी। सभी सरदारों ने कार्य क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक मजदूरों को कार्य में लगाने की सहमति जताई एवं उनके अन्दर कार्य करनेवाले सभी मजदूरों के कार्य की जिम्मेदारी सरदारों की रहेगी। यदि कोई सरदार (गद्दी/व्यापारी/क्रेता द्वारा) मजदूर मांगने पर 3 घंटे के अन्दर अपना मजदूर नहीं दे पाता है तो सरदार नगदी मजदूरों से कार्य करावेगा अन्यथा गद्दी के ट्रक का जो भी डिटेन्सन लगेगा उसकी जिम्मेदारी भी सरदार की होगी। एशोसियेशन ने मजदुर सप्लाई की समस्या को सभा में जोरदार तरीके से उठाया तथा युनियन भी समस्या की गम्भीरता से सहमत रही।
- रविवार के दिन एनजेपी-रांगापानी प्राइवेट रेलवे साइडिंग से आने वाले माल का कार्य के लिये मजदूरों को बखसीस के अलावा प्रति ट्रक रु. 200/- अलग से देय होगा एवं सिलीगुड़ी के बाहर से आने वाले ट्रकों के लिये प्रति ट्रक रु. 300/- अलग से देय होगा।
- शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन कर काम करने वाले मजदुर पर प्रशासनिक कारवाई की जाएगी।
- अनलोडिंग डाला बखशीस - बाहर से आने वाली गाड़ियों से रु. 28/- प्रति टन सभी प्रकार की बस्तुओं पर लेने पर सहमति हुई।
- टोटो तथा पिकआप का माल अनलोडिंग करने पर कोई बखसीस देय नहीं होगी।
- मजदूर और व्यापारी वर्ग बखसीस या चाय-पानी गद्दी खर्च के नाम पर बाहर से आने वाली गाड़ियों से किसी प्रकार का अलग से पैसा नहीं ले सकते हैं। अगर लेते हैं तो एशोसियेशन एवं मजदूर युनियन कार्यवाही कर सकते हैं।
- सभी मजदूरों की इन्श्योरेंस करने पर सहमति हुई। किसी भी मजदुर की इन्श्योरेंस न होने पर एशोसियेशन या गद्दी मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रत्येक सरदार द्वारा उसके कार्यरत मजदूरों की इन्श्योरेंस करवाना अनिवार्य है।
- लेबर वेलफेयर फण्ड बनाया जायेगा जिसमें युनियन एवं एशोसियेशन के प्रतिनिधि के बीच सहमती बनाकर रूपरेखा तैयार की जायेगी।
- यह एग्रीमेन्ट दिनांक 01.12.2021 से लागू होगा तथा इसके पहले के कार्य पर पुराने दर ही लागू रहेंगे।
- प्लास्टिक बोरा 50 केजी का बिना हुक से लोडिंग/अनलोडिंग करने पर 0-10 पैसा प्रति बोरा (दस पैसा) अधिक दिया जायेगा।
- नमक के लिए कोई अलग दर नहीं है, जिस किलोग्राम में पड़ता है वही दर लागू है।


(गौरीशंकर गोयल)
महासचिव

मजदूरी की दर दिनांक 01.12.2021 से 31.03.2022 तक लागू

क्रमांक	विवरण	किलोग्राम	किलोग्राम	किलोग्राम	किलोग्राम	किलोग्राम	किलोग्राम
		01 से 10	11 से 25	26 से 40	41 से 60	61 से 74	75 से 100
1.	लोडिंग	01 - 09	01 - 63	02 - 98	03 - 69	03 - 95	05 - 47
2.	अनलोडिंग	01 - 09	01 - 63	02 - 98	03 - 69	03 - 95	05 - 57
3.	छल्ली बिना वजन		01 - 63	02 - 32	02 - 74	02 - 98	04 - 26
4.	छल्ली वजन करके		01 - 63	02 - 98	03 - 63	03 - 95	05 - 30
5.	बाजार दुलाई बिना वजन		02 - 86	07 - 33	09 - 24	10 - 38	13 - 66
6.	बाजार दुलाई वजन करके		04 - 49	10 - 22	12 - 71	13 - 66	16 - 40
7.	काँड़ी, कस्ती, छल्ली बिना वजन			07 - 38	09 - 24	10 - 38	13 - 66
8.	काँड़ी, कस्ती एक भरती व छल्ली वजन सहित			10 - 22	12 - 71	13 - 66	16 - 40
9.	बोरा से बोरा पल्टी व छल्ली				07 - 93		

25 केजी का प्लास्टिक/कपड़ा बैग बिना हुक लोडिंग/अनलोडिंग की दर 2 रु० 04 पैसा प्रति पैकेट होगी।

क्रमांक	विवरण	गुड़ वाल्टी	गुड़ टीन	गुड़ बोरा
1.	लोडिंग	01 - 09	02 - 20	02 - 74
2.	अनलोडिंग	01 - 09	02 - 20	02 - 74

पहाड़, डुवार्स, सिक्किम और अन्य क्षेत्र के ट्रक (खूदरा माल की लोडिंग):

1.	एक/दो स्थान से वजन करके	-	-	-	09 - 99	प्रति क्विंटल
2.	एक/दो स्थान से बिना वजन	-	-	-	05 - 47	प्रति क्विंटल
3.	घुमघुम कर वजन करके	-	-	-	15 - 00	प्रति क्विंटल

मजदूरी की दर दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक लागू

क्रमांक	विवरण	किलोग्राम	किलोग्राम	किलोग्राम	किलोग्राम	किलोग्राम	किलोग्राम
		01 से 10	11 से 25	26 से 40	41 से 60	61 से 74	75 से 100
1.	लोडिंग	01 - 14	01 - 70	03 - 12	03 - 85	04 - 13	05 - 72
2.	अनलोडिंग	01 - 14	01 - 70	03 - 12	03 - 85	04 - 13	05 - 72
3.	छल्ली बिना वजन		01 - 70	02 - 43	02 - 86	03 - 12	04 - 45
4.	छल्ली वजन करके		01 - 70	03 - 12	03 - 80	04 - 13	05 - 54
5.	बाजार दुलाई बिना वजन		02 - 99	07 - 66	09 - 66	10 - 86	14 - 28
6.	बाजार दुलाई वजन करके		04 - 69	10 - 68	13 - 28	14 - 28	17 - 15
7.	काँड़ी, कस्ती, छल्ली बिना वजन			07 - 72	09 - 66	10 - 86	14 - 28
8.	काँड़ी, कस्ती एक भरती व छल्ली वजन सहित			10 - 68	13 - 28	14 - 28	17 - 15
9.	बोरा से बोरा पल्टी व छल्ली				08 - 29		

25 केजी का प्लास्टिक/कपड़ा बैग बिना हुक लोडिंग/अनलोडिंग की दर 2 रु० 14 पैसा प्रति पैकेट होगी।

क्रमांक	विवरण	गुड़ वाल्टी	गुड़ टीन	गुड़ बोरा
1.	लोडिंग	01 - 14	02 - 30	02 - 86
2.	अनलोडिंग	01 - 14	02 - 30	02 - 86

पहाड़, डुवार्स, सिक्किम और अन्य क्षेत्र के ट्रक (खूदरा माल की लोडिंग):

1.	एक/दो स्थान से वजन करके	-	-	-	10 - 44	प्रति क्विंटल
2.	एक/दो स्थान से बिना वजन	-	-	-	05 - 72	प्रति क्विंटल
3.	घुमघुम कर वजन करके	-	-	-	16 - 00	प्रति क्विंटल